भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1920
दिनांक 30 जुलाई, 2026

हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण और उत्पादन

†1920. **श्री प्रवीण पटेलः**
श्री दामोदर अग्रवालः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और व्यापार सुगमता के लिए आरम्भ किए गए नीतिगत सुधार क्या हैं;

(ग) अन्वेषण के लिए ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएलएपी) और की गई अन्य पहलों के तहत प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं; और

(ङ) सीमावर्ती और पूर्ववर्ती दुर्गम क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क), (ख), (घ) और (ङ) सरकार ने हाइड्रोकार्बनों के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन में सुधार लाने, निवेश को आकर्षित करने, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां कार्यान्वित की हैं। विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): ओएएलपी राउंड I-IX के तहत, 3.79 लाख वर्ग किमी को कवर करने वाले 172 अन्वेषण ब्लॉकों को आवंटित किया गया है, जिससे लगभग 4.36 बिलियन अमरीकी डालर का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप 21 हाइड्रोकार्बन खोजें हुई हैं। ओएएलपी के तहत हासिल की गई प्रगति (दिनांक 31.03.2026 तक) में शामिल हैं:

(i) प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत 37,740 एलकेएम के 2डी भूकंपीय आकड़ों और 52,000 वर्ग किमी 3डी भूकंपीय आंकड़ों का अधिग्रहण।

(ii) प्रतिबद्ध दायित्वों के विरुद्ध 114 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन।

(iii) ओएएलपी के अंतर्गत 21 हाइड्रोकार्बन खोजें की गई हैं।

अनुलग्नक-I

'हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण और उत्पादन' के संबंध में श्री प्रवीण पटेल और श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1920 के भाग (क), (ख), (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) शासन के तहत नीति, 2014;

ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र की नीति, 2015;

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचइएलपी), 2016;

iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017;

v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017;

vi. राष्ट्रीय डेटा भंडार की स्थापना, 2017;

vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी घाटियों में गैर-मूल्यांकन वाले क्षेत्रों की मंजूरी;

viii. तेल/गैस 2018 की बढ़ी हुई वसूली के तरीकों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने की नीति;

ix. मौजूदा क्षेत्रों के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति, 2018;

x- बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और चरण-I में न कोई भेदन प्रतिबद्धता, 2019;

xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020;

xii- अपतटीय में लगभग 1 मिलियन वर्ग किमी (एसकेएम) "नो-गो" क्षेत्र को जारी करना, जिसे 2022 में दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था;

xiii. संशोधित घरेलू मूल्य दिशानिर्देश 2023 में जारी किए गए थे;

xiv. व्यापार में सुगमता, संविदात्मक स्थिरता, प्रचालन दक्षता और तेजी से विवाद समाधान, 2025 को बढ़ावा देने के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन;

xv. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना।

xvi.मॉडल राजस्व शेयरिंग अनुबंध (एमआरएससी) को तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। अद्यतन एमआरएससी सभी बेसिन श्रेणियों में संविदात्मक स्पष्टता, परिचालन लचीलापन और वाणिज्यिक निश्चितता को मजबूत करता है।

xvii- हाइड्रोकार्बन संसाधनों और भंडारों को बढ़ाने और उनके समय पर उत्पादन में परिवर्तन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन के तहत राष्ट्रीय गहरे पानी के अन्वेषण मिशन की घोषणा।

xviii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी घाटियों में गैर-मूल्यांकन क्षेत्रों का मूल्यांकन।

xix. वर्ष 2022 में दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध अपतटीय में लगभग 1 मिलियन वर्ग किमी (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र का खोल जाना।

xx. सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे 20,000 एलकेएम और अपतटीय में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2 डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

xxi. सभी भारतीय तलछटी घाटियों में संसाधन मूल्यांकन के लिए 17.07.2025 को हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन (एचआरएएस 2025) शुरू किया गया है।

xxii. कच्चे तेल और केसिंग हेड कंडेनसेट के उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों को दिनांक 08.05.2026 और 04.06.2026 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
